आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.)

यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निशेध और निवारण) विनिमय

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ-२२६०२५

यौन उत्पीड़न के विरूद्ध 'पूर्ण असहनशीलता' की नीति

'यौन उत्पीड़न' का अर्थ है:

(i) यौन भावनाओं के साथ एक अवांछित आचरण यदि ऐसा होता है या जो लगातार होता है और जो शत्रुतापूर्ण और डराने वाला वातावरण पैदा करता है, अपमानित करता है या उत्पन्न करता है या वास्तविक या धमकी वाले प्रतिकूल परिणामों द्वारा अधीनता को प्रेरित करने के लिए गणना की जाती है और इसमें निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक या सभी अवांछित कार्य या व्यवहार शामिल हैं (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या निहितार्थ द्वारा) अर्थात्:

(क) यौन प्रकृति का कोई अवांछित शारीरिक, मौखिक या अशाब्दिक आचरण अथवा कोई अन्य आचरण।

(ख) लैंगिक अनुग्रह या अनुरोध करना ।

(ग) लैंगिकतायुक्त टिप्पणी करना।

(घ) शारीरिक रूप से सम्बन्ध बनाना अथवा पास बने रहने की कोशिश करना।

(ङ) हपोर्नोग्राफी अथवा अश्लील साहित्य दिखाना ।

(ii) निम्नलिखित परिस्थितियों में से कोई एक (या एक से अधिक या सभी) यदि यह किसी ऐसे व्यवहार के संबंध में होता है या मौजूद है या जुड़ा हुआ है जिसमें स्पष्ट या अंतर्निहित यौन संबंध हैं-

(क) छिपे रूप में प्रत्यक्ष या स्पष्ट अधिमान्य उव्यवहार देने का वादा जो यौन समर्थन के एवज में है ।

(ख) कार्य के निष्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में रूकावट डालने की धमकी ।

(ग) संबंधित व्यक्ति की वर्तमान या भविष्य की स्थिति के प्रति निहित या स्पष्ट खतरा।

(घ) एक डराने वाला आक्रामक या द्वेषपूर्ण माहौल बनाना।

(ङ) अपमानजनक व्यवहार जो की संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, गरिमा या शारीरिक अखंडता को दुष्प्रभावित करने वाला है ।

पीड़ित अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं: ईमेल: icc.bbaulko@gmail.com

किसी भी सहायता हेतू संपर्क करें:
अध्यक्षा, आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी), बीबीएयू
बीबीएयू: हेल्प लाइन नंबर: 9450710387; 9451144539
महिला हेल्पलाइन नंबर: **181**
आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली संख्या: **112**

शिकायत कैसे लिखें:
पते के साथ आपका नाम:
घटना का विस्तृत ब्यौरा:
साक्ष्य/गवाह यदि कोई हो:
प्रतिवादी का विवरण:
https://forms.gle/yMwD5FWStKrSq7696)

लिंग आधारित भेदभाव को "न" कहें